न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 127 / 17

1:— निर्मलाबाई पत्नि स्व शिवराज | जाति मेघवाल निवासी डाबरी काकाजी
2:— भूपेन्द्र पुत्र स्व0 शिवराज | नाबालिग जर्ये वली माता स्वयं संतोष बाई
3:— टीना पुत्री स्व0 शिवराज पत्नि महवीर जाति मेघवाल निवासी डाबरी काकाजी हाल निवासी तकिया नयागावं कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
4:— आरती आयु 17 वर्ष पुत्री स्व0 शिवराज | जरिये वली माता निर्मलाबाई
5:— भारती आयु 15 वर्ष पुत्री स्व0 शिवराज | पत्नि शिवराज
जातिगण मेघवाल निवासीगण डाबरीकाकाजी तहसील अन्ता जिला बारां
6:— रामस्वरूप पुत्र श्री औंकारलाल जाति मेघवाल निवासी डाबरीकाकाजी तहसील अन्ता जिला बारां राज0

(वादीगण)

बनाम

1:— केशरबाई पत्नि औंकारलाल जाति मेघवाल निवासी डाबरी काकाजी तहसील अन्ता जिला बारां राज0
2:— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :— 1.श्री अनुप कुमार मेघवाल (वादी)
2. श्री पुरूषोत्तम बिसारती (प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक: 09/10/2017

हस्तगत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डाबरी काकाजी तह0 अन्ता में खाता सं0 21 में ख0नं0 345 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 462 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 467 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 599 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 652 रकबा 0.79 हे0, कुल किता 5 रकबा 3.55 हे0 भूमि स्थित है जो जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 से प्रमाणित है।

उक्त आराजियात को इस वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। पक्षकारो का सजरा निम्न प्रकार हैः-

केशर

रामस्वरूप (पुत्र) | शिवराज (पुत्र) फौत | निर्मलाबाई (पुत्री)

1– निर्मलाबाई (पत्नि)

2– भूपेन्द्र (पुत्र)

3– टीना (पुत्री)

4– आरती (पुत्री)

5– भारती (पुत्री)

उक्त वादपत्र की मद नं0 1 में विर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त हुई है।

उक्त विवादित आराजियात को प्रतिवादी क्रम 1 ने करीब 15–20 वर्षो पूर्व 4 हिस्सों में मौखिक पारिवारिक बटवारानुसार विभाजित कर रखा है। जिसमें से 1/4 हिस्सा वादी क्रम 1 ता 5 व 1/4 वादी क्रम 6 एवं वादी क्रम 7 तथा 1/4 हिस्सा स्वयं प्रतिवादी क्रम 1 के पास स्थित है जिस पर सभी वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने से वादी क्रम 1 ता 5 अपने अपने हिस्से 1/4, वादी क्रम 6 का 1/4 हिस्सा व वादी क्रम 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्से पर लगभग 15 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर डिक्री फरमायी जावें कि :–

वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता सं0 21 में ख0नं0 345 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 462 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 467 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 599 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 652 रकबा 0.79 हे0, कुल किता 5 रकबा 3.55 हे0 भूमि वाके ग्राम डाबरी काकाजी तहसील अन्ता जिला बारां में दर्ज है। उक्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादी का हिस्सा निर्धारित किया जाकर वादीगण के पृथक खाते में सहखातेदार दर्ज किया जावें तथा वादी क्रम 1 ता 5 अपने अपने हिस्से 1/4, वादी क्रम 6 का 1/4 हिस्सा व वादी क्रम 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में कब्जे अनुसार पृथक से खाते सहखातेदारी दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि के खसरा नं0 व लगान तय कर राजस्व रिकार्ड में भी तदनुसार परिवर्तन किया जावे।

प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त एवं खाते में प्राप्त आराजी की भूमि पर कोई दखलांदाजी नही करें, आराजी को रहन बेचान नही करें ऐसा न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये, इस आशय की निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी फरमायी जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। वादीगण की और से श्री अनुप कुमार मेघवाल अधिवक्ता द्वारा वकालत नामा पेश किया एवं प्रतिवादीगण की और से श्री पुरूषोत्तम बिसारती अधिवक्ता द्वारा वकालत नामा के साथ इकबालिया जवाब दावा पैश किया। जिसमें सभी मदों को स्वीकार किया गया। पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से जर्ये अधिवक्ता राजीनामा पैश किया। राजीनामा अनुसार ग्राम डाबरीकाकाजी तहसील अन्ता में खाता सं0 21 में ख0नं0 345 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 462 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 467 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 599 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 652 रकबा 0.79 हे0, कुल किता 5 रकबा 3.55 हे0 भूमि स्थित है।

उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खाते दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त विवादित आराजियात को करीब 15–20 वर्षो पूर्व 4 हिस्सों में मौखिक पारिवारिक बटवारानुसार विभाजित कर रखा है जिसमें से 1/4 हिस्सा वादी क्रम 1 ता 5 व 1/4 वादी क्रम 6 हिस्सा 1/4 वादी क्रम 7 तथा 1/4 हिस्सा स्वयं प्रतिवादी क्रम 1 के पास स्थित है जिस पर सभी वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 अपने उपरोक्त हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना अपना हिस्सा दर्ज करवाने के लिए सहमत है। इसमें एक–दूसरे को कोई उज्र व ऐतराज नही है। उक्त विवादित आराजी को मुताबिक राजस्व रिकार्ड में काबिज काश्त अनुसार व अपने हिस्से अनुसार भूमि खाते दर्ज कर दी जावे।

वादीगण एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से व आपसी में समाइश करके उक्त विवादित भूमि के प्रकरण में राजीनामा कर लिया है जो इस राजीनामा के अनुसार पाबन्द रहेगे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक दावा उक्त आराजी खाता 21 में ख0नं0 345 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 462 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 467 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 599 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 652 रकबा 0.79 हे0, कुल किता 5 रकबा 3.55 हे0 भूमि वाके ग्राम डाबरीकाकाजी तहसील अन्ता में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा निर्धारित किया जाकर वादीगण के पृथक खाते में सहखातेदार दर्ज किया जावे तथा वादी क्रम 1 ता 5 अपने अपने हिस्से 1/4, वादी क्रम 6 का 1/4 हिस्सा व वादी क्रम 7 का 1/4 हिस्सा तथा उक्त भूमि के खसरा नं0 व लगान तय कर रिकार्ड में भी तदनुसार परिवर्तन किया जावे।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पढकर, सुनकर स्वयं के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने पर बाद तस्दीक स्वीकार कर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली में

प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। वादीगण की पहचान श्री अनुप कुमार मेघवाल अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री पुरूषोत्तम बिसारती अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि ग्राम डाबरी काकाजी तह0 अन्ता में **खाता सं0 21 में ख0नं0 345 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 462 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 467 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 599 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 652 रकबा 0.79 हे0, कुल किता 5 रकबा 3.55 हे0 भूमि में वादी क्रम 1 ता 5 का हिस्सा 1/4, वादी क्रम 6 का 1/4 हिस्सा व वादी क्रम 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा रहेगा। बतोर सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है।**

तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में दिनांक 09/10/2017 को सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास
पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा (आ.ए. एस.)

प्रकरण संख्या :– 127 / 17

1:– निर्मलाबाई पत्नि स्व शिवराज
2:– भूपेन्द्र पुत्र स्व0 शिवराज — जाति मेघवाल निवासी डाबरी काकाजी नाबालिग जर्ये वली माता स्वयं संतोष बाई
3:– टीना पुत्री स्व0 शिवराज पत्नि महवीर जाति मेघवाल निवासी डाबरी काकाजी हाल निवासी तकिया नयागावं कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
4:– आरती आयु 17 वर्ष पुत्री स्व0 शिवराज
5:– भारती आयु 15 वर्ष पुत्री स्व0 शिवराज — जरिये वली माता निर्मलाबाई पत्नि शिवराज
जातिगण मेघवाल निवासीगण डाबरीकाकाजी तहसील अन्ता जिला बारां
6:– रामस्वरूप पुत्र श्री औंकारलाल जाति मेघवाल निवासी डाबरीकाकाजी तहसील अन्ता जिला बारां राज0

(वादीगण)

बनाम

1:– केशरबाई पत्नि औंकारलाल जाति मेघवाल निवासी डाबरी काकाजी तहसील अन्ता जिला बारां
2:– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान

(प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांकः– 09/10/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री अनुप कुमार मेघवाल** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू श्री पुरूषोत्तम बिसारती पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम **डाबरी काकाजी** तह0 अन्ता में खाता सं0 21 में ख0नं0 345 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 462 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 467 रकबा 0.55 हे0, ख0नं0 599 रकबा 1.75 हे0, ख0नं0 652 रकबा 0.79 हे0, कुल किता 5 रकबा 3.55 हे0 भूमि में वादी क्रम 1 ता 5 का हिस्सा 1/4, वादी क्रम 6 का 1/4 हिस्सा व वादी क्रम 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा रहेगा। बतोर सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता

मुददई	रूपया	पैसा	मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकिल			महनताना वकिल		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराई हुकतनामा			बाबत इजराई हुकतनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म एवं नकल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिय दिखाया गया हो या नही दजै करना चाहीय